प्रकाशन हेतु अनुमोदित

<u>छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर</u>

<u>विविध अपील क्रमांक 67/2011</u>

<u>अपीलार्थी</u> : वंदना ग्लोबल लिमिटेड

(वादी)

बनाम

<u>प्रत्यर्थीगण</u> : सैफायर मिनमेटल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड एवं अन्य

(प्रतिवादीगण)

दिनांक 12/06/2012 को आदेश हेतु सूचीबद्ध करें

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/-

एन.के. अग्रवाल

न्यायाधीश

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

विविध अपील क्रमांक 67/2011

अपीलार्थी

(वादी)

वंदना ग्लोबल लिमिटेड, कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत विधिवत् निगमित एवं पंजीकृत, जिसका कार्यालय "वंदना भवन", एम.जी. रोड, रायपुर (छ.ग.) में स्थित है, अपने विधिवत् अधिकृत प्रतिनिधि श्री मुकेश भार्गव, पिता – स्व. श्री कैलाश नाथ भार्गव, निवासी – ए-1/402, वीआईपी करिश्मा, विधान सभा मार्ग, रायपुर (छ.ग.)

बनाम

प्रत्यर्थीगण

(प्रतिवादीगण)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

1. सैफायर मिनमेटल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड, द्वितीय तल, अल बरशा बिजनेस सेंटर बिल्डिंग, अल बरशा-1, स्ट्रीट 329, दुबई (यू.ए.ई.)

   एवं

   भारतीय कार्यालय – 811, पाम स्प्रिंग, इन्फिनिटी मॉल (आर. सिटी/अरोरा क्रोमा के समीप), लिंक रोड, मलाड (पश्चिम), मुंबई-400064
2. बिपिन बिहारी चौधरी, आयु लगभग 36 वर्ष, पिता – श्री पंचानंद चौधरी, पोस्ट ऑफिस – रिजोला, वाया-कुकुदाखंडी, जिला – गंजम, उड़ीसा – 761100
3. प्रसंजित मैती, आयु लगभग 45 वर्ष, पिता का नाम ज्ञात नहीं, निवासी – मिलन देहोग, भभानीपुर, थाना – हल्दिया, जिला – पश्चिम बंगाल – 721657
4. पिंकेश नाहर, आयु लगभग 50 वर्ष, निदेशक, सैफायर मिनमेटल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड, पिता का

नाम ज्ञात नहीं, भारतीय कार्यालय – 811, पाम स्प्रिंग, लिंक रोड, मलाड (पश्चिम), मुंबई-400064

5. सचिन नाहर, निदेशक, सैफायर मिनमेटल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड, कार्यालय – 811, पाम स्प्रिंग, लिंक रोड, मलाड (पश्चिम), मुंबई-400064

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 43 नियम 1(द) के अंतर्गत अपील

एकल पीठ :माननीय श्री न्यायमूर्ति एन.के. अग्रवाल

उपस्थित:

श्री सिच्चु मुखोपाध्याय, वरिष्ठ अधिवक्ता, सहित श्री कार्तिक नायर एवं श्री वैभव शुक्ला, अधिवक्ता, अपीलार्थी के अधिवक्ता।

श्री सी. कोदंड राम, वरिष्ठ अधिवक्ता, सहित श्री राम एस. बिस्वास, श्री पी. विक्रम एवं श्री सचिन सिंह राजपूत प्रत्यर्थी क्रमांक 1, 4 एवं 5 के अधिवक्ता।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

आदेश

(दिनांक 12.06.2012 को पारित)

प्रस्तुत विविध अपील, जिला न्यायाधीश, रायपुर द्वारा सिविल वाद क्रमांक 19-अ/2011 में दिनांक 13.06.2011 को पारित आदेश के विरुद्ध निर्देशित है।

2. इस अपील के निराकरण हेतु आवश्यक संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं:–

(i) दिनांक 06.01.2011 को अपीलार्थी/वादी द्वारा प्रतिवादियों के विरुद्ध एक वाद प्रस्तुत किया गया, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित अनुतोष चाहा गया : –

(क) दिनांक 04 अक्टूबर, 2010 के संविदा दस्तावेज को प्रारंभ से ही शून्य घोषित किए जाने एवं/अथवा उक्त संविदा दस्तावेज को निरस्त किए जाने की घोषणा की डिक्री;

(ख) प्रतिवादी क्रमांक-1 को दिनांक 22.10.2010 की कथित माध्यस्थम हेतु आवेदन के माध्यम से आई.सी.सी. के समक्ष प्रारंभ की गई माध्यस्थम कार्यवाही को आगे बढ़ाने से प्रतिबंधित करने हेतु स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री;

(ग) प्रतिवादी क्रमांक-1 को आई.सी.सी. के समक्ष लंबित माध्यस्थम कार्यवाही को समाप्त करने अथवा वापस लेने का निर्देश देने हेतु अनिवार्य निषेधाज्ञा की डिक्री; तथा

(घ) प्रतिवादियों के विरुद्ध संयुक्त एवं पृथक रूप से रु. 1,45,91,162/- (एक करोड़ पैंतालीस लाख इक्यानवे हजार एक सौ बासठ रुपये मात्र) क्षतिपूर्ति की डिक्री।

(ii) वादी के अनुसार, वादी एक कंपनी है जो कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पंजीकृत है, जिसका पंजीकृत कार्यालय वंदना भवन, एम.जी. रोड, रायपुर में स्थित है। वादी स्टील के निर्माण, विद्युत उत्पादन के व्यवसाय में संलग्न है तथा इसके अतिरिक्त, लौह अयस्क, जिसमें लौह अयस्क चूर्ण भी सम्मिलित हैं, के व्यापार में भी संलग्न है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(iii) प्रतिवादी क्रमांक-1, मेसर्स सैफायर मिनमेटल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड, हांगकांग में पंजीकृत एक कंपनी है, जिसका पंजीकृत कार्यालय द्वितीय तल, अल बरशा बिजनेस सेंटर, अल बरशा, स्ट्रीट क्रमांक 329, दुबई, यू.ए.ई. में स्थित है तथा इसका भारतीय शाखा कार्यालय 811, पाम स्प्रिंग, अरोरा क्रोमा, लिंक रोड, मलाड (पश्चिम), मुंबई–400064 में स्थित है। प्रतिवादी क्रमांक-2, श्री बिपिन बिहारी चौधरी, दिनांक 18 अक्टूबर, 2010 तक वादी कंपनी में महाप्रबंधक (निर्यात) के पद पर कार्यरत थे, जब उन्होंने कंपनी से त्यागपत्र दे दिया।

(iv) वादी के पास लगभग 30,000 मीट्रिक टन लौह अयस्क चूर्ण (आगे "माल" कहा गया है) था, जो आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित विशाखापत्तनम के बंदरगाह क्षेत्र में, वादी के एजेंट प्रत्युषा एसोसिएट्स शिपिंग के परिसर में संग्रहीत था।

(v) दिनांक 27 अगस्त, 2010 को वादी ने उक्त माल के विक्रय हेतु पी.एस. एक्सिम (हांगकांग) लिमिटेड के साथ एक संविदा किया था। इसके पश्चात पी.एस. एक्सिम (हांगकांग) लिमिटेड ने दीर्घकालीन व्यावसायिक संबंधों का आश्वासन देते हुए माल के मूल्य के पुनः निर्धारण (पुनः वार्ता) की इच्छा व्यक्त की। अपीलार्थी, जो अन्य बातों के साथ-साथ लौह अयस्क के निर्यात के व्यवसाय में संलग्न है, ऐसे दीर्घकालीन संबंध पर

विचार करने हेतु इच्छुक था, अतः उसने उनके अनुरोध को स्वीकार किया। तदनुसार, वार्ताएं प्रारंभ हुईं और दिनांक 08 अक्टूबर, 2010 तक चलती रहीं, जब कुछ मूल्य कटौती पर सहमति बनी तथा अंतिम मूल्य यू.एस. $108 तय किया गया। वादी की ओर से (इसके निदेशकों एवं प्रवर्तकों—श्री गोपाल अग्रवाल एवं श्री विजित अग्रवाल—के अतिरिक्त) किसी भी व्यापारिक संविदा में प्रवेश करने के लिए केवल श्री टी.के. मन्ना, उपाध्यक्ष (वित्त) तथा श्री अरविंद कुमार घोष, उपाध्यक्ष (विपणन) ही अधिकृत थे और हैं।

(vi) प्रतिवादी क्रमांक-2 को विशाखापत्तनम में माल के भंडारण, पी.एस. एक्सिम के साथ विद्यमान संविदा तथा उस समय चल रही मूल्य संबंधी पुनः वार्ताओं की पूर्ण जानकारी थी।

(vii) प्रतिवादी क्रमांक-3 ने, प्रतिवादी क्रमांक-4 एवं 5—जो प्रतिवादी क्रमांक-1 के प्रवर्तक एवं/अथवा निदेशक हैं—के कहने पर एवं उनके निर्देशानुसार, प्रतिवादी क्रमांक-1 की ओर से, प्रतिवादी क्रमांक-2 के साथ मिलकर वादी को धोखा देने हेतु एक आपराधिक षड्यंत्र रचा, जिससे स्वयं को सदोष अभिलाभ पहुँचाया जा सके तथा वादी को सदोष हानि हो।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(viii) दिनांक 04 अक्टूबर, 2010 को पूर्वोक्त आपराधिक षड्यंत्र के अग्रसरण में, प्रतिवादी क्रमांक-2 ने कथित रूप से अपीलार्थी/वादी की ओर से तथा प्रतिवादी क्रमांक-1 के साथ, वादी के स्वामित्व वाले 30,000 मीट्रिक टन लौह अयस्क चूर्ण के विक्रय हेतु एक धोखाधड़ीपूर्ण दस्तावेज निष्पादित किया—एक यू.एस. $109 प्रति मीट्रिक टन की दर से तथा दूसरा यू.एस. $108 प्रति मीट्रिक टन की दर से।

(ix) प्रतिवादियों को इस तथ्य की जानकारी थी और उन्हें यह आवश्यक रूप से ज्ञात होना चाहिए था कि प्रतिवादी क्रमांक-2 को वादी की ओर से अथवा उसके की स्थान पर किसी भी प्रकार का संविदा करने का कोई अधिकार नहीं था। वादी के निदेशक मंडल द्वारा कोई प्रस्ताव अथवा मुख्तारनामा जारी नहीं की गई थी, जिसके द्वारा प्रतिवादी क्रमांक-2 को किसी संविदा में प्रवेश करने का अधिकार दिया गया हो। वह वादी के निदेशक मंडल का सदस्य भी नहीं था। कोई भी विवेकशील व्यवसायी, सद्भावना से कार्य करते हुए, प्रतिवादी क्रमांक-2 जैसे किसी कर्मचारी के साथ तब तक संविदा नहीं करता, जब तक कि उसे निदेशक मंडल के प्रस्ताव, मुख्तारनामा अथवा कम से कम किसी लिखित प्राधिकार पत्र के माध्यम से संतुष्टि न हो जाती।

(x) वादी को पूर्वोक्त लेन-देन की जानकारी दिनांक 09 अक्टूबर, 2010 को हुई, जब संयोगवश पत्राचार की एक प्रति गलती से वादी के आधिकारिक ई-मेल आईडी पर भेज दी गई। वादी के प्रतिनिधि श्री मुकेश भार्गव ने तत्काल प्रतिवादी क्रमांक-2 से बातचीत की। दिनांक 09 अक्टूबर, 2010 को प्रतिवादी क्रमांक-2 ने प्रतिवादी क्रमांक-1 को एक ई-मेल भेजकर यह बताया कि उक्त कथित संविदा निरस्त कर दिया गया है, क्योंकि प्रतिवादी क्रमांक-1 दिनांक 08 अक्टूबर, 2010 तक साख पत्र प्रस्तुत करने में विफल रहा।

(xi) तत्पश्चात प्रतिवादी क्रमांक-1 ने माध्यस्थम एवं सुलह अधिनियम, 1996 (आगे "1996 का अधिनियम") की धारा 9 के अंतर्गत कथित रूप से एक आवेदन माननीय आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। दिनांक 13 अक्टूबर, 2010 को आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने अंतरिम आदेश द्वारा वादी को किसी भी तृतीय पक्ष को विक्रय करने अथवा विशाखापत्तनम बंदरगाह से 30,000 मीट्रिक टन लौह अयस्क चूर्ण को हस्तांतरित, हटाने या स्थानांतरित करने से, माध्यस्थम के माध्यम से विवादों के निराकरण तक, प्रतिबंधित कर दिया तथा प्रकरण को प्रधान जिला न्यायालय, विशाखापत्तनम को प्रेषित कर दिया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(xii) प्रतिवादी क्रमांक-1 ने आगे अंतरराष्ट्रीय उद्योगसंघ परिमंडल, पेरिस (आईसीसी) के माध्यस्थम न्यायालय के माध्यस्थम नियमों के अंतर्गत, दिनांक 22 अक्टूबर, 2010 की माध्यस्थम हेतु अनुरोध-पत्र प्रस्तुत कर, माध्यस्थम कार्यवाही प्रारंभ करने का भी कथित रूप से प्रयास किया।

(xiii) जिला न्यायाधीश, विशाखापत्तनम ने अंततः अंतरिम आदेश को निरस्त कर दिया तथा प्रतिवादी क्रमांक-1 द्वारा 1996 के अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत दायर आवेदन को भी खारिज कर दिया।

(xiv) वादपत्र में किए गए कथनों के अनुसार, प्रतिवादी क्रमांक-1 द्वारा प्रारंभ की गई माध्यस्थम कार्यवाही, जो माध्यस्थम प्रकरण संदर्भ क्रमांक 17487/एआरपी है, विधि की दृष्टि से शून्य एवं अवैध है, क्योंकि वादी एवं प्रतिवादी क्रमांक-1 के मध्य कोई भी वैध संविदा अस्तित्व में नहीं था और न ही कोई माध्यस्थम समझौता अस्तित्व में था। अतः आईसीसी अधिकरण को प्रतिवादी क्रमांक-1 द्वारा प्रस्तुत दावों पर विचार करने की कोई अधिकारिता प्राप्त नहीं है तथा वादी, प्रतिवादी क्रमांक-1 को उक्त माध्यस्थम

कार्यवाही को आगे बढ़ाने से रोकने हेतु एंटी-आर्बिट्रेशन निषेधाज्ञा पाने का अधिकारी है।

(xv) वादी के अनुसार, प्रतिवादी क्रमांक-2 जिला न्यायाधीश, रायपुर के अधिकारिता के अंतर्गत निवास करता है तथा वादी के साथ धोखाधड़ी की गई है, जिसका पंजीकृत कार्यालय रायपुर में स्थित है; अतः वाद हेतुक भी जिला न्यायाधीश, रायपुर के अधिकारिता में उत्पन्न हुआ है।

(xvi) वादपत्र के साथ-साथ अस्थायी निषेधाज्ञा प्रदान किए जाने हेतु एक आवेदन भी प्रस्तुत किया गया।

(xvii) लिखित कथन एवं उत्तर प्रस्तुत करते हुए प्रतिवादी क्रमांक-1 ने वादी द्वारा लगाए गए आरोपों का खंडन किया तथा अन्य आपत्तियों के अतिरिक्त, वाद की पोषणीयता के संबंध में, विशेष रूप से अधिकारिता को लेकर प्रारंभिक आपत्ति उठाई कि किसी भी प्रतिवादी का स्वेच्छा से निवास अथवा व्यवसाय न्यायालय के अधिकारिता में नहीं है।

(xviii) विचारण न्यायालय ने पक्षकारों को सुनने के पश्चात वादी द्वारा दायर अस्थायी निषेधाज्ञा के आवेदन को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि इस स्तर पर यह नहीं कहा जा सकता कि विचारण न्यायालय को इस प्रकरण पर अधिकारिता प्राप्त है, अतः प्रथम दृष्टया वादी का मामला उसके पक्ष में नहीं है। यह भी स्पष्ट है कि वादी ने स्वयं अपने मामले में आर्थिक क्षति का आरोप लगाया है, इसलिए सुविधा का संतुलन भी वादी के पक्ष में नहीं है। यदि वादी के पक्ष में अस्थायी निषेधाज्ञा प्रदान नहीं की जाती है, तो उसकी आर्थिक क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सकती है, अर्थात वादी को अपूरणीय क्षति होने की कोई संभावना नहीं है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सिच्चु मुखोपाध्याय सहित श्री कार्तिक नायर एवं श्री वैभव शुक्ला, ने यह तर्क प्रस्तुत किया कि विद्वान विचारण न्यायालय ने अस्थायी निषेधाज्ञा हेतु आवेदन को केवल अधिकारिता के आधार पर (प्रथम दृष्टया) खारिज किया है और ऐसा करते समय गलत कसौटी अपनाई है। उनके अनुसार, न्यायालय ने प्रतिवादियों के निवास स्थान एवं कथित दस्तावेज के निष्पादन स्थल को रायपुर में न बताए जाने को आधार बनाया, जबकि सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 20(ग) के अंतर्गत लागू होने वाली वाद हेतुक की कसौटी को लागू किया जाना चाहिए था, विशेष रूप से विशिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1961 की धारा 31 के अंतर्गत कपटपूर्ण दस्तावेज की घोषणा एवं/अथवा निरस्तीकरण हेतु दायर वादों में। श्री मुखोपाध्याय के अनुसार, प्रतिवादी क्रमांक-1 दिनांक 04

अक्टूबर, 2010 के दस्तावेज का प्रतिकूल उपयोग वादी के विरुद्ध रायपुर स्थित उसके कार्यालय में कर रहा है, जिसका प्रमाण यह है कि आईसीसी माध्यस्थम, जिसे प्रतिवादी वादी के विरुद्ध आगे बढ़ाना चाहता है, उसी दस्तावेज पर आधारित है, जिसमें वादी का पता रायपुर दर्शाया गया है तथा माध्यस्थम में दावे की सूचना भी वादी को उसके रायपुर स्थित कार्यालय पते पर दी गई है। प्रतिवादी क्रमांक-1 उक्त दस्तावेज का उपयोग करते हुए वादी को रायपुर से लंदन की माध्यस्थम में घसीटना चाहता है और वादी को यह आशंका है कि उक्त दस्तावेज के कपटपूर्ण उपयोग से उसके विरुद्ध कोई अधिनिर्णय पारित कर दिया जाएगा, जिससे उसे क्षति होगी। इसके समर्थन में मद्रास उच्च न्यायालय के निर्णय ***नित्तला अचय्या बनाम नित्तला येल्लम्मा***, **एआईआर 1923 मद्रास 109** तथा बॉम्बे उच्च न्यायालय के निर्णय ***क्वाड्रिकॉन प्राइवेट लिमिटेड बनाम बजरंग अलॉयज लिमिटेड,*** **एआईआर 2008 बॉम्बे 88** पर भरोसा किया गया।

4. इसके विपरीत, प्रतिवादी क्रमांक 1, 4 एवं 5 की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सी. कोदंड राम सहित श्री राम एस. बिस्वास, श्री पी. विक्रम एवं श्री सचिन सिंह राजपूत, ने आक्षेपित आदेश का समर्थन करते हुए प्रस्तुत किया कि प्रतिवादी क्रमांक-2 को वादी द्वारा अधिकृत न किया जाना तथ्य का प्रश्न है तथा यही बचाव मध्यस्थ के समक्ष भी उठाई गई है, जिसे 1996 के अधिनियम की धारा 16 (जो इंग्लैंड के माध्यस्थम अधिनियम, 1996 की धारा 30 के समतुल्य है) के अंतर्गत निर्णय करने का अधिकार मध्यस्थ को प्राप्त है। उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया कि वादी ने मध्यस्थ के समक्ष अपना जवाब भी प्रस्तुत कर दिया है, जो विचाराधीन है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय ***क्वार्नर सीमेंटेशन इंडिया बनाम बजरंगलाल अग्रवाल,*** **2001 (6) सुप्रीम 265** पर भरोसा रखते हुए उन्होंने कहा कि जब 1996 के अधिनियम की धारा 16 मध्यस्थ को अपने अधिकारिता, जिसमें माध्यस्थम समझौते के अस्तित्व अथवा वैधता से संबंधित आपत्तियां भी सम्मिलित हैं, तय करने का अधिकार प्रदान करती है, तब व्यवहार न्यायालय को इस प्रश्न में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के निर्णय ***कल्टर फूड साइंस इंक., न्यूयॉर्क, यू.एस.ए. बनाम निकोलस पीरामल इंडियन लिमिटेड एवं अन्य,*** **2002 (2) एएलडी 149** पर भी भरोसा रखते हुए यह प्रस्तुत किया गया कि जहाँ माध्यस्थम समझौता अंग्रेजी विधि के अधीन विवादों के समाधान का प्रावधान करता है, वहाँ यह प्रश्न कि करार लोक नीति के विरुद्ध है अथवा धोखाधड़ी से दूषित है, मध्यस्थ द्वारा भी तय किया जा सकता है। अतः अपीलार्थी द्वारा लगाए गए सभी आरोपों का निर्णय मध्यस्थ द्वारा किया जाएगा और विचारण न्यायालय द्वारा इस स्तर

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

पर अस्थायी निषेधाज्ञा का आवेदन खारिज करने में कोई त्रुटि नहीं की गई है। आगे यह भी कहा गया कि रायपुर न्यायालय को कोई अधिकारिता प्राप्त नहीं है, क्योंकि कोई भी प्रतिवादी रायपुर के अधिकारिता में निवास नहीं करता और न ही कोई वाद हेतुक रायपुर में उत्पन्न हुआ है। चूँकि अपीलार्थी ने यह भी नहीं कहा है कि यदि संविदा को यथावत छोड़ा गया तो उसे गंभीर क्षति होगी, इसलिए विशेष अनुतोष अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होते और फलस्वरूप मद्रास उच्च न्यायालय के निर्णय **निट्टाला अचय्या बनाम नित्तला येल्लम्मा** (पूर्वोक्त) तथा बॉम्बे उच्च न्यायालय के निर्णय **क्वाड्रिकॉन प्राइवेट लिमिटेड बनाम बजरंग अलॉयज लिमिटेड**. (पूर्वोक्त) भी इस प्रकरण के तथ्यों पर लागू नहीं होते।

5. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है।

6. अपीलार्थी के अधिवक्ता द्वारा विचारण न्यायालय के अधिकारिता के प्रश्न पर विशेष बल दिया गया है। उनके अनुसार, मद्रास उच्च न्यायालय के निर्णय **निट्टाला अचय्या बनाम नित्तला येल्लम्मा** (पूर्वोक्त) तथा बॉम्बे उच्च न्यायालय के निर्णय **क्वाड्रिकॉन प्राइवेट लिमिटेड बनाम बजरंग अलॉयज लिमिटेड**. (पूर्वोक्त) के आलोक में यह पूर्णतः स्पष्ट है कि वाद हेतुक का एक भाग रायपुर में भी उत्पन्न हुआ है और इसलिए विचारण न्यायालय को इस प्रकरण की सुनवाई का अधिकारिता प्राप्त है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7. यह सत्य है कि मद्रास उच्च न्यायालय की युगलपीठ ने **निट्टाला अचय्या बनाम नित्तला येल्लम्मा** (पूर्वोक्त) के प्रकरण में यह निर्णय दिया है कि यदि किसी दस्तावेज का उपयोग किसी व्यक्ति की हानि के लिए किसी विशेष स्थान पर किया जाना है, तो निःसंदेह वाद हेतुक उस स्थान पर भी उत्पन्न होता है।

8. मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा **निट्टाला अचय्या बनाम नित्तला येल्लम्मा** (पूर्वोक्त) में प्रतिपादित विधि-सिद्धांत पर भरोसा करते हुए, बॉम्बे उच्च न्यायालय ने **क्वाड्रिकॉन प्राइवेट लिमिटेड** (पूर्वोक्त) के प्रकरण में अपने निर्णय के अनुच्छेद 52 एवं 53 में निम्नलिखित अवलोकन किया है :–

> “52. बाँके बिहारी लाल के मामले में युगलपीठ ने यह माना कि वाद हेतुक कानपुर जिले में उत्पन्न हुआ, जहाँ डिक्री के निष्पादन का प्रयास किया जाना था, क्योंकि कुछ संपत्तियाँ उस न्यायालय के अधिकारिता में स्थित थीं। इस सिद्धांत से कोई विवाद नहीं हो सकता। तथापि, यह भी कहा गया कि यदि

डिक्री के निष्पादन हेतु कभी आवेदन ही नहीं किया गया, तो केवल उसका पारित होना वादी को वास्तविक रूप से क्षति नहीं पहुँचाता।

पूर्वोक्त अंतिम अवलोकन से, यदि इसे एक निरपेक्ष सिद्धांत के रूप में माना जाए, तो मैं सादर असहमत हूँ। विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 31 के अंतर्गत संधारणीयता के लिए वास्तविक क्षति या क्षति पहुँचाने का प्रयास आवश्यक नहीं है। गंभीर क्षति की युक्तियुक्त आशंका ही पर्याप्त है। गंभीर क्षति की ऐसी युक्तियुक्त आशंका है या नहीं, यह प्रत्येक मामले के तथ्यों पर निर्भर करेगा। वास्तव में, ये अवलोकन मद्रास उच्च न्यायालय के निर्णय एन. अहैया बनाम नित्तला येल्लम्मा, एआईआर 1923 मद्रास 109 में किए गए उन अवलोकनों के भी विपरीत हैं, जिन्हें इस न्यायालय की युगलपीठ ने शिव भगवान के मामले में मनु/एमएच/0103/1952 : एआईआर 1952 बॉम्बे 365 अनुमोदन के साथ उद्धृत किया था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

53. वर्तमान प्रकरण में, कथित रूप से विनिमय पत्र वादी के मुंबई स्थित पते पर तैयार किया गया था। प्रतिवादी का यह आरोप था कि उक्त विनिमय पत्र मुंबई में स्वीकार किया गया। वादपत्र के साथ संलग्न पत्राचार (प्रदर्श 'सीसी', 'डीडी' एवं 'ईई') से यह स्पष्ट होता है कि प्रतिवादियों ने विनिमय पत्र के अंतर्गत अपने कथित अधिकारों को वादी के मुंबई स्थित बैंकर्स के माध्यम से प्रवर्तित करने का प्रयास किया। प्रतिवादी द्वारा उक्त विनिमय पत्र को अपने बैंक—बैंक ऑफ बड़ौदा—के माध्यम से वादी के बैंक केनरा बैंक, मुंबई कार्यालय में परक्राम्य किए जाने का प्रयास किया गया। अतः, कथित जालसाजी जहाँ भी हुई हो, उससे स्वतंत्र रूप से, वाद हेतुक मुंबई में भी उत्पन्न हुआ, जहाँ उस विनिमय पत्र का उपयोग किए जाने का प्रयास किया गया। इन परिस्थितियों में, वाद हेतुक का एक महत्वपूर्ण भाग इस न्यायालय के अधिकारिता के भीतर उत्पन्न हुआ है।"

9. पूर्वोक्त प्रकरणों में मद्रास उच्च न्यायालय तथा बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि-सिद्धांत से कोई विवाद नहीं है। तथापि, वर्तमान प्रकरण के तथ्यों पर आते हुए यह निर्विवाद है कि वादी/अपीलार्थी ने वादपत्र में ऐसे आवश्यक तथ्य उल्लिखित नहीं किए हैं, जिनसे यह

प्रदर्शित हो कि वाद हेतुक का कोई भाग रायपुर में उत्पन्न हुआ। इसके अतिरिक्त, वादी ने वादपत्र में यह भी नहीं कहा कि "यदि उक्त दस्तावेज को यथावत छोड़ा गया तो उसे गंभीर क्षति होगी" अथवा यह कि "उक्त दस्तावेज का उपयोग रायपुर में उसके विरुद्ध किया जा रहा है और इसलिए वाद हेतुक का एक भाग रायपुर न्यायालय के अधिकारिता में उत्पन्न हुआ है।" विशिष्ट अभिवचनों के अभाव में, विचारण न्यायालय के लिए यह मानना संभव नहीं था कि अस्थायी निषेधाज्ञा प्रदान करने के आवेदन पर विचार करने के प्रयोजन हेतु वाद हेतुक का कोई भाग उसके अधिकारिता के अंतर्गत भी उत्पन्न हुआ है। इसके अतिरिक्त, वादपत्र के अनुसार श्री बिपिन बिहारी चौधरी उड़ीसा के निवासी हैं। संविदा का निष्पादन विशाखापत्तनम में हुआ तथा कोई भी प्रतिवादी रायपुर में निवास नहीं करता है।

10. विचारण न्यायालय ने यह प्रश्न अंतिम रूप से तय नहीं किया है कि उसे वाद का निर्णय करने की अधिकारिता प्राप्त है या नहीं। वर्तमान प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों में यह प्रश्न कि रायपुर न्यायालय को अधिकारिता प्राप्त है या नहीं, तथ्य एवं विधि का मिश्रित प्रतीत होता है और सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 14 नियम 2 के प्रावधानों के अनुसार, विचारण न्यायालय के लिए यह खुला है कि वह इस विवाद्यक पर अन्य विवाद्यकों के साथ विचार करें ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11. वर्तमान मामले में वादी, वादग्रस्त संविदा की उपस्थिति एवं वैधता को, जिसमें माध्यस्थम करार भी सम्मिलित है, मुख्यतः इस आधार पर चुनौती दे रहा है कि प्रतिवादी क्रमांक-2 को वादी की ओर से प्रतिवादी क्रमांक-1 के साथ संविदा करने का कोई अधिकार नहीं था। इस मामले में मध्यस्थ अधिकरण का गठन 1996 के अधिनियम की धारा 8 या धारा 11(6) के अंतर्गत न्यायालय के हस्तक्षेप के बिना किया गया है, अतः वह अपने ही अधिकारिता अथवा माध्यस्थम शर्त के अस्तित्व पर निर्णय देने का अधिकार रखता है, जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **एसबीपी एंड कंपनी. बनाम पटेल इंजीनियरिंग लिमिटेड एवं अन्य, (2005) 8 एससीसी 618** के प्रकरण में निर्णीत किया है। उक्त निर्णय के अनुच्छेद 20 में सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नानुसार अवधारित किया है :–

> "20. धारा 16 को कोम्पेटेंज़–कोम्पेटेंज़ के सिद्धांत की मान्यता माना जाता है। यह तथ्य कि मध्यस्थ अधिकरण को अपनी ही अधिकारिता पर निर्णय देने तथा अपने अधिकारिता की सीमाएँ निर्धारित करने की क्षमता प्राप्त है, केवल यह दर्शाता है कि जब ऐसे प्रश्न उसके समक्ष आते हैं, तो अधिकरण उन्हें तय कर सकता है और संभवतः उसे ऐसा करना भी चाहिए। यह स्थिति तब उत्पन्न होती है जब पक्षकार धारा 8 या धारा 11 के सहारे गए बिना सीधे

मध्यस्थ अधिकरण के समक्ष जाते हैं। किंतु जहाँ अधिकारिता से संबंधित प्रश्नों का निर्णय इन धाराओं के अंतर्गत संदर्भ किए जाने से पूर्व किया जा चुका हो, वहाँ धारा 16 को इस प्रकार नहीं पढ़ा जा सकता कि वह मध्यस्थ अधिकरण को न्यायिक प्राधिकारी अथवा मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिए गए निर्णय की उपेक्षा करने की शक्ति प्रदान करे।

निर्णय करने की क्षमता मध्यस्थ अधिकरण को उस अंतिमता को निष्प्रभावी करने की अनुमति नहीं देती, जो उसे सृजित करने वाले अधिनियम द्वारा संदर्भ ग्रहण करने से पूर्व पारित आदेश को प्रदान की गई है। यही स्थिति अधिनियम की धारा 11(7) को धारा 16 के साथ पढ़ने पर उत्पन्न होती है। धारा 11 के अंतर्गत मुख्य न्यायाधीश द्वारा उसकी क्षमता के भीतर दिए गए आदेश को अंतिमता प्रदान की गई है और उसे मध्यस्थ अधिकरण के समक्ष पुनः नहीं खोला जा सकता।

कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनाम रानी कंस्ट्रक्शन (प्रा) लिमिटेड, (2002) 2 एससीसी 388 के प्रकरण में केवल यह विचार किया गया था कि धारा 16 के अंतर्गत मध्यस्थ अधिकरण को अपनी ही अधिकारिता तथा माध्यस्थम करार के अस्तित्व अथवा वैधता से संबंधित आपत्तियों पर निर्णय देने का अधिकार है। धारा 11(7) का प्रभाव उस मध्यस्थ

अधिकरण पर क्या होगा, जिसका गठन धारा 11(6) के अंतर्गत आदेश द्वारा किया गया हो, इस पर विचार नहीं किया गया था, क्योंकि उस निर्णय में यह दृष्टिकोण अपनाया गया था कि धारा 11(6) के अंतर्गत आवेदन पर विचार करते समय मुख्य न्यायाधीश कोई निर्णय नहीं देता बल्कि केवल मध्यस्थ अधिकरण की नियुक्ति का प्रशासनिक कार्य करता है। एक बार यह मान लिया जाए कि अधिनियम द्वारा मुख्य न्यायाधीश को निर्णायक कार्य सौंपा गया है, तो स्वाभाविक रूप से मध्यस्थ अधिकरण का उसके द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध जाने का अधिकार एक अलग स्वरूप ले लेगा और धारा 11(7) द्वारा नियंत्रित होगा।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

12. यह प्रश्न कि प्रतिवादी क्रमांक-2 को वादी द्वारा उसकी ओर से संविदा करने का अधिकार दिया गया था या नहीं, मूलतः तथ्य का प्रश्न है। जब तक साक्ष्य के माध्यम से धोखाधड़ी सिद्ध नहीं हो जाती, तब तक वादग्रस्त संविदा को वैध माना जाएगा। वादी ने यह विवाद्यक पहले ही मध्यस्थ

अधिकरण के समक्ष उठाया है और उसी का निर्णय मध्यस्थ अधिकरण द्वारा अपने गुण-दोष के आधार पर किया जाएगा।

13. आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की युगलपीठ ने कल्टर फूड साइंस इंक., न्यूयॉर्क, यू.एस.ए. बनाम निकोलस पीरामल इंडियन लिमिटेड. एवं अन्य (पूर्वोक्त) के प्रकरण में यह निर्णय दिया है कि जहाँ माध्यस्थम समझौता अंग्रेजी विधि के अधीन विवादों के समाधान का प्रावधान करता है, वहाँ यह प्रश्न कि क्या वह समझौता लोक नीति के विरुद्ध है अथवा क्या वह धोखाधड़ी से दूषित है, मध्यस्थ द्वारा भी तय किया जा सकता है। उक्त निर्णय के अनुच्छेद 27, 28, 29 एवं 31 में निम्नलिखित अवलोकन किया गया है :–

> "27. आदेश 39 नियम 1 एवं 2 अथवा सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 151 के अंतर्गत निषेधाज्ञा हेतु दायर याचिका में, जब तक प्रतिवादी स्वयं स्वीकार न कर ले, न्यायालय को निषेधाज्ञा प्रदान या अस्वीकार करने का निर्णय याचिकाकर्ता के मामले की मजबूती के आधार पर करना चाहिए, न कि प्रतिवादी के मामले की कमजोरी के आधार पर। प्रथम प्रतिवादी, जिसने वाद दायर किया और अपीलार्थी के विरुद्ध निषेधाज्ञा मांगी, का यह तर्क कि वाद संविदा लोक नीति के विरुद्ध है क्योंकि पक्षकारों ने भारतीय विधि के स्थान पर अंग्रेजी विधि के पालन पर सहमति दी है, प्रथम दृष्टया कोई बल नहीं रखता, विशेषकर रेणुसागर (पूर्वोक्त) एवं नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन के निर्णयों के आलोक में।
>
> 28. प्रथम प्रतिवादी का यह तर्क कि वाद संविदा धोखाधड़ी से दूषित है, जैसा कि ऊपर अनुच्छेद 14 में उल्लिखित कारणों से कहा गया है, केवल तभी तय किया जा सकता है जब साक्ष्य लिया जाए, विशेष रूप से इसलिए कि प्रथम प्रतिवादी यह भी प्रथम दृष्टया स्थापित नहीं कर पाया कि उसके साथ किस प्रकार की धोखाधड़ी की गई और किस प्रकार उसके (जो कि एक जमानतदार है) तथा अपीलार्थी के मध्य हुआ संविदा धोखाधड़ी से प्रभावित है। एलसीआईए नियमों के अनुच्छेद 23 को वाद संविदा की धारा-27 के साथ पढ़ने पर यह स्पष्ट है कि मध्यस्थ अधिकरण को संविदा की वैधता, प्रवर्तनीयता तथा यह प्रश्न कि क्या पक्षकारों के मध्य माध्यस्थम योग्य कोई विवाद है या नहीं, तय करने का अधिकारिता प्राप्त है। एटलस निर्यात उद्योग (पूर्वोक्त) में दिए गए निर्णय के अनुसार, वाद

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

संविदा प्रथम दृष्टया संविदा अधिनियम की धारा 28 के अपवाद-1 के अंतर्गत आता है, भले ही वह भारतीय विधि के अधीन हो। अतः केवल इस आधार पर कि माध्यस्थम किसी विदेशी देश में होनी है, जिस मंच को पक्षकारों ने पूर्ण जानकारी के साथ स्वेच्छा से स्वीकार किया है, तथा उन कार्यवाहियों में भाग लेने हेतु पर्याप्त धनराशि व्यय करनी पड़ेगी—यह अपीलार्थी एवं तृतीय प्रतिवादी को माध्यस्थम आगे बढ़ाने से रोकने हेतु निषेधाज्ञा देने का कोई आधार नहीं हो सकता। इस मामले के तथ्य (पूर्वोक्त) के तथ्यों पर पूर्णतः लागू होते हैं। अतः, तथा (पूर्वोक्त) में प्रतिपादित विधि-सिद्धांत के आलोक में भी, प्रथम प्रतिवादी का यह नहीं कहा जा सकता कि उसका प्रथम दृष्टया मामला बनता है।

29. यह भी भली-भांति स्थापित सिद्धांत है कि निषेधाज्ञा जैसी समतामूलक राहत चाहने वाले पक्षकार को न्यायालय के समक्ष स्वच्छ हस्तों के साथ आना चाहिए। जैसा कि पूर्व में कहा गया है, जब तक साक्ष्यों के माध्यम से धोखाधड़ी सिद्ध नहीं हो जाती, तब तक वाद संविदा को वैध माना जाएगा। यदि प्रथम प्रतिवादी का यह तर्क स्वीकार कर लिया जाए कि वाद संविदा धोखाधड़ी से दूषित था, तो संविदा अधिनियम की धारा 64 के अनुसार प्रथम प्रतिवादी को, यदि उसने अपीलार्थी से कोई लाभ प्राप्त किया है, तो वह लाभ अपीलार्थी को वापस करना होगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

किसी वाद में, जिसमें यह घोषणा मांगी जाती है कि वाद संविदा शून्य है, न्याय शुल्क उस लाभ के आधार पर देय होता है जो संविदा के अंतर्गत प्राप्त किया जाना है अथवा उस हानि के आधार पर जो टाली जानी है, न कि काल्पनिक मूल्य पर, जैसा कि साधारण निषेधाज्ञा के वाद में होता है। इसके अतिरिक्त, प्रथम प्रतिवादी को, वादी होने के नाते, यह भी कथन करना आवश्यक था कि वह वाद संविदा के अंतर्गत प्राप्त किसी भी लाभ को लौटाने के लिए तैयार है।

यदि मांगी गई निषेधाज्ञा प्रदान कर दी जाए, तो इसका तात्पर्य यह होगा कि वाद संविदा को शून्य घोषित कर दिया गया है, जिससे प्रथम प्रतिवादी को वह राहत मिल जाएगी, जिसके लिए उसने जानबूझकर न्याय शुल्क के भुगतान से बचाव किया है। इस कारण से भी प्रथम प्रतिवादी को

निषेधाज्ञा की राहत प्रदान नहीं की जा सकती, क्योंकि उसने वाद संविदा की कथित अवैधता के संबंध में घोषणा की राहत ही नहीं मांगी है।

31. सुविधा का संतुलन अपीलार्थी को माध्यस्थम की कार्यवाही आगे बढ़ाने की अनुमति देने में है। यदि निषेधाज्ञा प्रदान नहीं की जाती है, तो प्रथम प्रतिवादी को किसी प्रकार की क्षति, और तो और अपूरणीय क्षति भी नहीं होगी, क्योंकि वह वर्तमान में उठाए गए सभी प्रश्न न केवल मध्यस्थ के समक्ष उठा सकता है, बल्कि यदि कोई पंचाट अधिनिर्णय पारित किया जाता है और उसे न्यायालय का नियम बनाए जाने एवं निष्पादन हेतु प्रस्तुत किया जाता है, तब भी वह इन प्रश्नों को यहाँ की व्यवहार न्यायालयों के समक्ष उठा सकता है।

अतः प्रथम प्रतिवादी मांगी गई निषेधाज्ञा का अधिकारी नहीं है और इस कारण आई.ए. क्र. 1352 of 2000 खारिज किए जाने योग्य है तथा इसे खारिज किया जाता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

14. अस्थायी निषेधाज्ञा प्रदान किए जाने हेतु वादी द्वारा प्रस्तुत आवेदन विलंब एवं शिथिलता से भी ग्रस्त है। वादपत्र के कथनों के अनुसार, दिनांक 9 अक्टूबर 2010 को वादी को यह जानकारी प्राप्त हुई कि उसके कर्मचारी बिपिन बिहारी चौधरी द्वारा प्रतिवादी क्रमांक-1 के साथ उसकी ओर से संविदा दस्तावेज निष्पादित किया गया है। इसके पश्चात, प्रतिवादी क्रमांक-1 ने अधिनियम, 1996 की धारा 9 के अंतर्गत आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया तथा दिनांक 22 अक्टूबर 2010 को माध्यस्थम हेतु अनुरोध भी दायर किया, किंतु वादी ने संविदा, जिसमें माध्यस्थम करार भी सम्मिलित है, के अस्तित्व एवं वैधता को चुनौती देने हेतु तत्काल कोई वाद दायर नहीं किया। यह वाद केवल जनवरी 2010 में, वह भी मध्यस्थ अधिकरण के समक्ष उपस्थित होने के पश्चात, दायर किया गया।

15. प्रकरण के प्रत्येक पहलू पर विचार करने के उपरांत यह सुस्पष्ट है कि वादी यह स्थापित करने में असफल रहा है कि उसका कोई प्रथम दृष्टया मामला है; कि अंतरिम निषेधाज्ञा अस्वीकृत किए जाने पर उसे अपूरणीय क्षति होगी; अथवा यह कि सुविधा का संतुलन उसके पक्ष में है। पूर्वोक्त परिस्थितियों में, विचाराधीन आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं पाया जाता। अपील, निराधार एवं तथ्यहीन होने के कारण, खारिज किए जाने योग्य है तथा इसे खारिज किया जाता है।

सही/-

(एन. के. अग्रवाल)

न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated By Amitesh Anand Rathore

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur